



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28702

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1115/2024

वीरेंद्र कुमारयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

प्रमुख सचिव परिवहन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य, एवं 7 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: बजरंग बहादुर सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बजरंग बहादुर सिंह और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री डी.के. श्रीवास्तव का सुना।
2. चूंकि पक्षकारों के बीच प्रति-शपथ पत्र और प्रत्युत्तर-शपथ पत्र का आदान-प्रदान हो चुका है और विरोधी पक्षकारों के अनुसार वे कोई अन्य शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, अतः रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर ही निर्णीत किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी में चपरासी श्री बेचन प्रसाद की प्रोन्नति के कारण चपरासी का एक पद रिक्त हो गया था और याचिकाकर्ता को उक्त रिक्ति में 02.03.1989 को तदर्थ आधार पर चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 07.03.1989 को कार्यभार ग्रहण किया था। अपर परिवहन आयुक्त (मुख्यालय, उ.प्र.) द्वारा 07.07.2004 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मिर्जापुर स्थानांतरित कर दिया गया और रिट याचिकाकर्ता को 21.07.2004 को कार्यमुक्त कर दिया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2006 के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं को 07.03.1989 से नियमित कर दिया गया। तत्पश्चात 21.07.2006 को उप परिवहन आयुक्त, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी ने सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) लाभ के संबंध में एक आदेश पारित किया। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 18.10.2014 को उन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया था।
4. चूंकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें 07.03.1989 से मौलिक आधार पर नियुक्त किया गया था और रिट याचिकाकर्ता को समय-समय पर ए.सी.पी. लाभ पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं, अतः याचिकाकर्ता ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद तीसरे ए.सी.पी. का दावा किया, जो उन्हें 18.02.2016 को प्रदान किया गया था। रिट याचिकाकर्ता को कनिष्ठ सहायक के पद पर 3 वर्ष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद 15.05.2018 के आदेश द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर नियमित कर दिया गया था और विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 11.11.2019 की सिफारिश के आधार पर याचिकाकर्ता को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया था, और उसके बाद रिट याचिकाकर्ता 31.01.2023 को वरिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद, रिट याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों के पास जाते रहे। हालांकि, 15.09.2023/18.09.2023 को, सातवें प्रत्यर्थी, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन, विंध्याचल क्षेत्र, मिर्जापुर ने पेंशनभोगी लाभों और ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में आपत्ति उठाई।

5. रिट याचिकाकर्ता ने इसके बाद उक्त लाभों को प्रदान करने के लिए 04.10.2023 को प्रत्यवेदन प्रस्तुत किया और 12.10.2023 को अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश ने अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, भदोही (संत रविदास नगर) के साथ पेंशनभोगी लाभों के भुगतान के संबंध में इनपुट प्रदान करने के लिए पत्राचार किया और उसके बाद दूसरे प्रत्यर्थी, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन, लखनऊ, उ.प्र.) ने संचार जारी किया जिसके बाद एक अन्य संचार दिनांक 17.10.2023 जारी किया गया, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को पेंशनभोगी लाभों का भुगतान नहीं किया गया, जिसने रिट याचिकाकर्ता को सातवें प्रत्यर्थी, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन, विंध्याचल क्षेत्र, मिर्जापुर और मुख्य कोषागार अधिकारी, संत रविदास नगर (भदोही) से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2023 से ब्याज सहित पेंशन के बकाया का भुगतान करने की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए विवश किया। इस न्यायालय द्वारा 01.02.2024 को जवाब मांगते हुए रिट याचिका पर विचार किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 4 की ओर से सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, संत रविदास नगर, भदोही द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पुष्ट प्रति-शपथ पत्र दाखिल किए गए हैं और प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, विंध्याचल क्षेत्र, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 14.05.2024 को पुष्ट एक प्रति-शपथ पत्र भी दाखिल किया गया था। रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर-शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में कायम नहीं रह सकता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता को पेंशनभोगी लाभ प्रदान किए जाने के वे हकदार हैं, विशेष रूप से तब जब रिट याचिकाकर्ता को 07.03.1989 को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था लेकिन उनकी सेवाओं को 05.05.2006 के आदेश द्वारा नियमित कर दिया गया था, तो याचिकाकर्ता 07.03.1989 से उस तिथि तक की अवधि को जोड़ते हुए पेंशन के भुगतान के हकदार हैं जिस पर रिट याचिकाकर्ता को 05.05.2006 को नियमित किया जाना चाहिए था और सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 31.01.2023 तक।
7. तर्क यह है कि सातवें और आठवें प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई यह आपत्ति कि रिट याचिकाकर्ता को 05.05.2006 को नियमित किया गया था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता पेंशनभोगी लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। श्री बी.के. श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता जो प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने पैराग्राफ संख्या 4, 7, 8 और 9 में निहित कथनों के आधार पर यह तर्क देने का प्रयास किया है कि रिट याचिकाकर्ता इस तथ्य के आलोक में पेंशन के भुगतान के हकदार नहीं हैं कि उनकी सेवाओं को 05.05.2006 के आदेश द्वारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



07.03.1989 से अवैध रूप से नियमित किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस संबंध में प्रत्यर्थियों द्वारा एक सुविचारित निर्णय लिया जाना है।

8. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
9. प्रत्यक्षतः, तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को 07.03.1989 को अस्थायी/तदर्थ आधार पर चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा 05.05.2006 को याचिकाकर्ता की सेवाओं को 07.03.1989 से नियमित करने का आदेश पारित किया गया था। आदेश दिनांक 05.05.2006 को यहाँ उद्धृत किया गया है।

"शासनादेश संख्या 15-18/86 सा-1-2001 दिनांक 20-1-2001 (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों पर नियुक्ति का विनियमन) नियमावली 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति की संस्तुति दिनांक 5-5-2006 के अनुपालन में श्री वीरेंद्र कुमार चपरासी जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 7-3-89 को की गई थी, की सेवाएं उनके कार्यभार ग्रहण की तिथि 7-3-89 से नियमित की जाती हैं।"

10. विद्वान स्थायी अधिवक्ता से पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न पर कि क्या दिनांक 05.05.2006 का आदेश निरस्त या रद्द कर दिया गया है, उत्तर नकारात्मक है।
11. इसके अलावा रिट याचिकाकर्ता को 21.07.1986 को ए.सी.पी. प्रदान किया गया था और उसके बाद उन्हें 18.10.2014 को कनिष्ठ सहायक के पद पर और 11.11.2019 को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया था। उक्त कथन रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 6, 8 और 9 में किए गए हैं। रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 6, 8 और 9 में किए गए कथनों का उत्तर प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा दाखिल प्रति-शपथ पत्र के पैराग्राफ 14 में दिया गया है। प्रत्यर्थियों द्वारा ली गई मूल आपत्ति यह है कि रिट याचिकाकर्ता नियमितीकरण की तिथि से लाभों के हकदार हैं। न्यायालय की राय में, चूंकि रिट याचिकाकर्ता को 07.03.1989 से नियमितीकरण प्रदान करने वाला दिनांक 05.05.2006 का आदेश अभी भी अस्तित्व में है और रिट याचिकाकर्ता को उक्त आदेश के आधार पर प्रोन्नति, ए.सी.पी. और अन्य लाभ प्रदान किए गए थे, अतः प्रत्यर्थियों के लिए यह खुला नहीं है कि वे याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए अपने ही रुख से पलट जाएं।
12. इस स्तर पर, श्री डी.के. श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 2-अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ.प्र., लखनऊ द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
13. ऐसे तर्क पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
14. तदनुसार, रिट याचिकाकर्ता को 27.02.2026 तक याचिका की छायाप्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन दाखिल करके दूसरे प्रत्यर्थी-अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ.प्र., लखनऊ से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है और उक्त आवेदन पर, दूसरा प्रत्यर्थी उपरोक्त चर्चा के आलोक में उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वीरेंद्र

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"